अध्याय-2

समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों पर हुई कार्रवाई और हिंदी सलाहकार की नियुक्ति सहित अन्य लंबित संस्तुतियां

2.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अन्तर्गत सन् 1976 में किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे। अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार समिति के प्रतिवेदन और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों, तो उन पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति उस समस्त प्रतिवेदन या उसके किसी भी भाग के अनुसार आदेश निकाल सकते हैं। परन्तु इस प्रकार निकाले गए आदेश अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

2.2 समिति ने अपना प्रतिवेदन अलग-अलग खंडों में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। तदनुसार समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के आठ खंड महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है, जिन पर राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं।

2.3 समिति के प्रतिवेदन कs प्रथम खंड में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत कुल 55 सिफारिशें की गई थीं जिनमें से मुख्यत: रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों में शेष बचे कोड, मैनुअलों, प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद, विधायी विभाग द्वारा प्रिवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट व उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा विधि-पुस्तकों के अनुवाद-कार्य, अनुवाद-प्रशिक्षण, अनुवाद-पुनश्चर्या प्रशिक्षण व हिंदी अधिकारियों व उनसे ऊपर के अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था, मानक शब्दावली के निर्माण, नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित किए जाने, शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा, निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण में तेजी लाए जाने, शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने, मानक शब्दावली के प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण, प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं के आयोजन, अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान, शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन, अध्यापन में मानक शब्दावलियों के प्रयोग, कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावलियों की जानकारी दिए जाने, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन, केंद्र सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली में प्रयोग, शब्दालियों के पर्याप्त संख्या में वितरण, शिक्षा से संबंधित संस्थानों को शब्दालियों के बारे में विस्तार से सूचना दिए जाने, शब्दावली बैंक की स्थापना आदि सिफारिशों से संबंधित है। यह खंड जनवरी, 1987 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इसे 08 मई, 1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। इसमें की गई सिफारिशों पर राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के विचार तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राय भी आमंत्रित की गई थी। उनसे प्राप्त मतों पर विचार

करने के बाद समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों में से 46 सिफारिशों को मूल रूप में, 5 सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ, 2 सिफारिश को सिध्दांत रूप में स्वीकार किया गया था तथा निम्न 2 सिफारिशों को विचाराधीन रख लिया गया था ।

विचाराधीन सिफारिशें ।

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.4 में की गई राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.7 में उच्चतम न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी के विकल्प की व्यवस्था के बारे में सिफारिश।

कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत सिफारिशें %

क्रम सं0.	**समिति की सिफारिशें**	**संशोधन के साथ स्वीकृत**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	समिति ने यह सिफारिश की है कि विधि/निर्णय पुस्तकों, प्रिवी काउंसिल (1837-1950), फेडरल-कोर्ट और उच्चतम न्यायालय (1950-1968) द्वारा किए गए निर्णयों के अनुवाद का कार्य शीध्र किया जाए तथा इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए	इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया कि जो निर्णय अब प्रासंगिक नहीं है, उन्हें छोड़ दिया जाए, जिनका सार देने से काम चल सकता है, उनका सार, मात्र तैयार किया जाए और शेष का अनुवाद किया जाए । अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करें ।	
2	समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा उपक्रमों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों का भी अलग-अलग संवर्ग गठित करना चाहिए ।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है, जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए, जहां यह संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए । गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे ।	
3	समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है । इस संबंध में समिति ने	जहां तक प्रशिक्षण के लिए शेष सभी अनुवादकों को 1988 के अन्त तक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पावधि में संभव नहीं	

	सिफारिश की है कि सभी अनुवाद कर्मियों को एक समयबध्द योजना बनाकर अनुवाद प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाए । इसके लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी । जिन अनुवादकों ने अभी तक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1988 के अंत तक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए । इसके लिए आवश्यकतानुसार कलकत्ताा, मद्रास, अहमदाबाद और गुवाहाटी जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र तदर्थ आधार पर तुरन्त खोला जाना चाहिए ।	है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाद प्रशिक्षण देने के लिए समयबध्द कार्यक्रम बनाए और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे। अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय आवश्यकता और वित्तीय साधनों को देखकर किया जाए ।	
4	समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्कता पर बल देते हुए यह सिफारिश की है कि देश के अद्यतन विकास के लिए उन्नत देशों की भाषा में प्रकाशित होने वाले ज्ञान-विज्ञान का आवश्कतानुसार हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना चाहिए जिसके लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीन वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाकर किया जाए । तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे ।	
5	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह	यह सिफारिश इस संशोधित रूप में स्वीकार की गई है कि राजभाषा का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन से किया जाए, पर साथ ही नियमों	समिति इस संस्तुति पर पुन: विचार कर मूल संस्तुति के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा करती है ।

	दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे। अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है । अत: समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोषी अधिकारियों के विरुध्द कठोर कार्रवाई करे।	और आदेशों आदि के अनुपालन में दृढ़ता बरती जाए । राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।	

सिद्धांत रूप से स्वीकार सिफारिश ।

क्रम सं0.	**समिति की सिफारिशें**	**सिद्धांत रूप से स्वीकृत**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	(1) (i)विधि क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाए, ताकि हिंदी में बनी विधियों का निर्वचन कर निर्णय हिंदी में लिखे जाएं । (ii) कोड, मैनुअलों इत्यादि के मूल प्रारूपण में हिंदी का प्रयोग । भविष्य में नए कोड, मैनुअल आदि का सृजन मूल रूप से हिंदी में किया जाए ।	ये सिफारिशें सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ल गई हैं । यद्यपि अभी इन पर पूरी तरह अमल करना सम्भव नहीं होगा, फिर भी इसके लिए, यथासम्भव प्रयास किया जाना चाहिए । विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण के बारे में विधायी विभाग आवश्यक कार्रवाई करे।	समिति का यह मानना है कि "यथासंभव प्रयास" को विभाग गंभीरता से नहीं लेता है अत: मूल संस्तुति पर पुन: आदेश की सिफारिश है ।
2	समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षण में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए ।	सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है । इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।	

विचाराधीन प्रस्ताव एवं सिफारिश को छोड़कर इस खंड में की गई सिफारिशों पर राजभाषा विभाग के 30 दिसंबर, 1988 के संकल्प सं.1/20012/1/87-रा.भा.(क-1) के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

2.4 समिति के प्रतिवेदन के दूसरे खंड में विभिन्न शीर्षकों के अधीन कुल 47 सिफारिशें की गई थीं, जिसमें देवनागरी इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के अनुसंधान, विकास और निर्माण तथा इस प्रकार के टाइपराइटरों पर उत्पाद शुल्क में विशेष रियायत दिए जाने, हिंदी टाइपिंग तथा हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ क़िए जाने, इलेक्ट्रानिकी यांत्रिक सुविधाओं में हिंदी के प्रयोग, भारतीय भाषाओं के विकास के लिए गठित प्रौद्योगिकी विकास मिशन की योजना कार्यान्वित किए जाने, कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम में हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण, राजभाषा नीति का सुचारू रूप से अनुपालन कराए जाने के लिए राजभाषा विभाग को सशक्त और साधन संपन्न बनाए जाने, टेलीप्रिंटर तथा कंप्यूटर प्रचालकों को दोनों भाषाओं में काम करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने से संबंधित सिफारिशें हैं। यह खंड जुलाई, 1987 में महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था और इसे 29 मार्च, 1988 को लोक सभा तथा 30 मार्च, 1988 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें की गई सिफारिशों पर राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के विचार तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राय भी आमंत्रित की गई थी। उनसे प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद अधिकतर सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस खंड में की गई सिफारिशों में से 6 सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ तथा शेष सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था । जिन पर राजभाषा विभाग के 29 मार्च, 1990 के संकल्प सं.12015/34/87-रा.भा.(त.क) के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत सिफारिशें :

क्रम सं0.	**समिति की सिफारिशें**	**संशोधन के साथ स्वीकृत**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	(क) 1990 तक क क्षेत्र स्थित कर्यालयों में कम से कम 90 प्रतिशत, ख क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 66 2/3 प्रतिशत और ग क्षेत्र स्थित कार्यालयों में 25 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के होने चाहिए । यह बात साधारण टाइपराइटर के अतिरिक्त पिन प्वाइंट, बुलेटिन और पोटर्ेबल तथा बिजली चालित टाइपराइटरों पर भी लागू होती है । (ख) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक कार्यालय में देवनागरी का कम से कम एक टाइपराइटर अवश्य हो और इसके अतिरिक्त टाइपराइटरों की खरीद पर ऊपर वर्णित विभिन्न क्षेत्रों के लिए	समिति की सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि 1994-95 के अन्त तक समिति द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदेश राजभाषा विभाग द्वारा निकाले जाएं । इन आदेशों में समिति की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के आदेशों की पुनरावृत्ति की जाए कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम देवनागरी का एक टाइपराइटर अवश्य हो और वर्तमान देवनागरी टाइपराइटरों में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 प्रतिशत वृध्दि करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 1994-95 के अंत	चूंकि टाइपराइटरों का चलन लगभग बंद हो गया है । अत: समिति यह संस्तुति करती है कि "ग" क्षेत्र में भी सभी कम्प्यूटरों पर देवनागरी में कार्य हो अत: कम्प्यूटर आवश्यक रूप से द्विभाषी हों ।

	निर्धारित प्रस्तावित प्रतिशत के अनुसार की जानी चाहिए ।	तक समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए । इसी के अनुसार प्रत्येक वर्ष हिंदी आशुलिपि तथा देवनागरी टाइपिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । ये लक्ष्य राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक वर्ष के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम में भी परिलक्षित किए जाएंगे ।	
2	जिन कर्मचारियों को अभी तक हिंदी टाइपिंग अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें एक समयबध्द योजना के अनुसार 1990 के अन्त तक इसमें प्रशिक्षित कराया जाए ताकि आवश्यकतानुसार वे हिन्दी में टाइपिंग तथा आशुलिपि का कार्य कर सकें ।	सिफारिश के इस भाग को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि समयबध्द योजना के अनुसार 1994-95 के अन्त तक हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान में शेष रहे लगभग सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए । इसके लिए प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यमक्रम में हिंदी आशुलिपिकों तथा देवनागरी टाइपिस्टों के लक्ष्यों में प्राय: 20 प्रतिशत वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी।	वर्तमान में इस कार्यक्रम को वर्ष 2015 तक पूरा करने में आदेश हुआ है । समिति की संस्तुति है कि भविष्य में भर्तियों में केवल हिन्दी टंकण / आशुलिपि जानने वालों को प्राथमिकता दी जाए ।
3	टेलीप्रिंटर/टैलेक्स के संबंध में समिति ने यह सिफारिश की है कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों के कार्यालयों में जहां केवल रोमन टेलीप्रिंटर लगे हुए हैं वहां उनके साथ-साथ देवनागरी टेलीप्रिंटर जून, 1988 तक लगाए जाने चाहिए ।	यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है । चूंकि अब द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीन का विकास हो चुका है और इन मशीनों का व्यावसायिक उत्पादन भी हो रहा है, उचित यही होगा कि रोमन टेलीप्रिंटरों को द्विभाषी टैलेक्स मशीनों से बदल दिया जाए ।	
4	देवनागरी तथा रोमन के द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर और टैलेक्स के विकास में भी तेजी लाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके विकास में तनिक भी	यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार की गई है । द्विभाषी टैलेक्स मशीन के विकास का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक	

	विलम्ब नहीं किया जाए और उनके परीक्षण सफल होने के बाद वर्तमान रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर स्थापित किए जाएं । यह कार्य वर्ष 1988 के अंत तक पूरा हो जाना चाहिए।	टेलीप्रिंटरों की बजाय द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टैलेक्स मशीनें वर्ष 1988 के अन्त तक लगाने की समय-सीमा भी पहले ही समाप्त हो चुकी है । इसलिए दूरसंचार विभाग अंग्रेजी- देवनागरी द्विभाषी टैलेक्स मशीनों की उत्पादन क्षमता में वृध्दि करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी सरकारी कार्यालयों में अगले लगभग तीन वर्षों में, अर्थात् 30-9-1993 तक सभी टेलीप्रिंटर/टैलेक्स द्विभाषी हों। इसके लिए दूरसंचार विभाग एक समयबध्द योजना बनाए, ताकि जहां एक ओर शीध्रातिशीध्र द्विभाषी टैलेक्स मशीनें कार्यालयों में उपलब्ध हों वहीं दूसरी ओर उन पर मुख्यतया देवनागरी में ही काम किया जाए ।	
5	कम्प्यूटर, शब्द-संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्दु इलैक्ट्रानिकी विभाग को बनाया जाए।	समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि कम्प्यूटर तथा शब्द संसाधक आदि की खरीद के लिए जांच बिन्दु प्रत्येक विभाग का प्रशासक प्रभाग तथा इसमें किसी प्रकार की छूट देने के लिए जांच बिन्दु राजभाषा विभाग रहेगा ।	
6	समिति ने यह सिफारिश की है कि चूंकि तार भी पत्राचार का ही एक रूप है इसलिए राजभाषा नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार क तथा ख क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा राज्य सरकारों और उनके कार्यालयों तथा अन्य व्यक्तियों आदि को तथा ग क्षेत्र में स्थित अधिसूचित कार्यालयों को सभी सरकारी तार केवल देवनागरी में ही	समिति की सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली गई है कि जहां-जहां देवनागरी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है, वहां स्थित कार्यालयों में सभी तार राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में ही भिजवाए जाएं ।	

	भेजे जाएं ।		

2.5 समिति के प्रतिवेदन के तीसरे खंड में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देय नकद पुरस्कार राशि तथा एकमुश्त राशि बढाए जाने, हिंदी शिक्षण योजना के पाठयक्रमों की समीक्षा व पुनरीक्षण तथा हिंदी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए गठित पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई किए जाने, "ग" क्षेत्र में नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रतिमानों में ढील दिए जाने तथा हिंदी प्राध्यापकों के नए पद सृजित किए जाने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील दिए जाने, हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान तथा प्रोत्साहन दिए जाने के मानदंडों की पुनरीक्षा किए जाने के लिए समिति गठित किए जाने व उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने, हिंदी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठयक्रम तथा देश के सभी भागों के शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम से पठन-पाठन, राजभाषा विभाग तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व इसके उप संस्थानों के सुदृढीक़रण, दूरदर्शन से हिंदी पाठयक्रम के प्रसारण, कृषि व इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं एवं पाठयक्रमों और आयुर्विज्ञान, व्यावसायिक विषयों आदि के पाठयक्रमों में हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने, विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिए जाने, राजभाषा संकल्प, 1968 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भर्ती नियमों की समीक्षा किए जाने तथा सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने आदि कुल 40 सिफारिशें मुख्य बिंदु क से ट के अंतर्गत की थी । यह खंड फरवरी, 1989 में महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इसे 13 अक्तूबर, 1989 को लोक सभा एवं 27 दिसंबर, 1989 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इसमें की गई सिफारिशों पर राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के विचार तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राय भी आमंत्रित की गई थी। उनसे प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद 13 सिफारिश को मूल रूप से स्वीकार करते हुए, एक सिफारिश को संशोधन के साथ तथा निम्नांकित दो सिफारिशों को विचाराधीन रखते हुए तथा 24 सिफारिशों को सिध्दांत रूप में स्वीकार करते हुए राजभाषा विभाग के 04 नवंबर, 1991 के संकल्प सं.13015/01/91-रा.भा.(घ) के अंतर्गत इस खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृत सिफारिशें :

क्रम सं0.	**समिति की सिफारिशें**	**संशोधन के साथ स्वीकृत**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	समिति ने यह सिफारिश की है कि ख तथा ग क्षेत्रों में काम करने वाले हिंदी प्राध्यापकों के लिए कुछ वित्तीय आकर्षण उपलब्ध कराए जाएं और निर्धारित योग्य अथवा आयु सीमा में ढील दी जाए ।	ख और ग क्षेत्रों के लिए प्राध्यापकों की योग्यता अथवा आयु सीमा में ढील देना समान अवसर के सिध्दांत के अनुरूप नहीं है और इसमें संवैधानिक कठिनाइयां भी आ सकती हैं तथापि समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि ख तथा ग क्षेत्रों में से	

		कुछ ऐसे दूरस्थ स्थानों के विषय में वित्तीय तथा अन्य आकर्षण देने के मामले पर राजभाषा विभाग विचार करे और इस संबंध में वित्ता मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करें ।	

सिद्धांत रूप में स्वीकृत:

क्रम सं0.	**समिति की सिफारिश**	**सिद्धांत रूप में स्वीकृत**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/ अभियुक्ति**
1	हिंदी का प्रशिक्षण लेने पर वर्तमान प्रोत्साहन व्यवस्था को कुछ समय ओर चालू रखा जाए तथा इसे और अधिक आकर्षक बनाया जाए।	इसके कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।	
2	निजी प्रयत्नों से, पत्राचार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रशिक्षण पाकर हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को एक-मुश्त पुरस्कार की राशि दुगुनी कर दी जाए।	वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह राशि जुलाई 1989 से डेढ़ गुना की जा चुकी है । इसे दुगुना करने के लिए वित्ता मंत्रालय को पुन: प्रस्ताव भेजा जाए ।	
3	नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से पहले हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए ।	राजभाषा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई कर केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दो और नए उपसंस्थान वर्ष 1990-91 के दौरान मद्रास और हैदराबाद में खोले हैं । राजभाषा विभाग पूर्णकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त उप संस्थान हर वर्ष खोलें, साथ ही सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश दिया जाए कि वे अपने-अपने अधीनस्थ सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का	समिति इस संस्तुति पर पुन: अनुरोध करती है कि इस संस्तुति को मूल रूप में स्वीकार करते हुए आदेश जारी हो तो हिन्दी के प्रयोग में कोई कठिनाई किसी भी स्तर पर नहीं आएगी ।

		प्रबंध कर लें कि हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से पहले हिंदी का गहन प्रशिक्षण दिया जाए ।	
4	दूरस्थ नगरों में केन्द्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रतिमानों में छूट दी जाए ।	राजभाषा विभाग वर्तमान मानदंड में ग क्षेत्र में नए केन्द्र खोलने के लिए ढील देने के लिए व्यय विभाग को पुन: प्रस्ताव भेजे ।	
5	हिंदी शिक्षण योजना के अंशकालिक प्राध्यापकों के लिए मानदेय की दरों में समय-समय पर वृद्धि की जाए ।	वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए, राजभाषा विभाग इस विषय में वित्ता मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् कार्यवाही करे।	
6	हिंदी प्राध्यापकों के नए पद सृजित करने के लिए निर्धारित प्रतिमानों में ढील देने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।	चूंकि इसमें वित्तीय संसाधनों का प्रश्न जुड़ा हुआ है, अत: राजभाषा विभाग इस विषय में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर व्यय विभाग से परामर्श करें।	
7	औद्योगिक संस्थानों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जिन्हें लिखने-पढ़ने का कार्य करना पड़ता है, हिंदी प्रशिक्षण अनिवार्य है।	इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित कार्रवाई करे ।	
8	हिंदी शिक्षण का कार्य कर रही स्वयं-सेवी संस्थाओं को दिए जा रहे अनुदान की राशि उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाए, यांत्रिक उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें विशेष अनुदान दिया जाए, उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठयक्रमों को हिंदी शिक्षण योजना के पाठयक्रमों के अनुरूप रखने के लिए परामर्श तथा सहायता प्रदान की जाए, उन्हें पाठय-पुस्तकों, प्रकाशनों, भवन- निर्माण आदि के लिए विशेष अनुदान दिया जाए तथा सरकार द्वारा शीघ्र ही इस संबंध में एक उच्च अधिकार प्राप्त	शिक्षा विभाग इस विषय में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करें तथा यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करें और अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करें ।	

	समिति का गठन किया जाए जो इन स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यों तथा समस्याओं आदि का मूल्यांकन करके सुनियोजित समन्वित कार्यक्रम तैयार करे और इन्हें दिए जाने वाले अनुदान के लिए नए और उदार मानदण्ड निर्धारित करे। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इन संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्ताीर्ण होने पर, केन्द्रीय कर्मचारियों को वे सभी प्रोत्साहन उपलब्ध होने चाहिए जो कि उनको हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्राप्त होते हैं ।		
9	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में जहां दीर्घ अवधि के पाठयक्रम चलाए जाते हैं वहां हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए । प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान व्यवस्था के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति अविलंब दी जाए ।	राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वह अपने अधीनस्थ व अपने उपक्रमों के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसी व्यवस्था कराएं ।	
10	आकाशवाणी द्वारा हिंदी भाषा पाठों के प्रसारण की अवधि तथा आवृत्ति की जाए तथा दूरदर्शन से भी हिंदी पाठ प्रसारित किए जाएं ।	सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सिफारिश के अनुरूप स्थिति की समीक्षा करे तथा सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाएं।	
11	केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में हिंदी की पढ़ाई के विषय में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करे कि देश भर से सभी जगह विद्यालयों, महाविद्यालयों में तथा विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई हिंदी में भी करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध हो तथा हिंदी अथवा हिंदी माध्यम से पठन-पाठन करने के लिए कोई बाधा	क्योंकि शिक्षा का मुख्य उत्तारदायित्व राज्य सरकारों पर है, समिति की यह सिफारिश केवल सिध्दांत रूप में मान ली गई है । शिक्षा विभाग इस सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों में आवश्यक	

	नहीं हो ।	कदम उठाए । साथ ही शिक्षा विभाग सभी राज्य सरकारों आदि को समिति की इस सिफारिश से अवगत कराते हुए, इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय करने के लिए भी अनुरोध करे।	
12	त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं तथा इस कार्य के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए और उसके अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस कदम उठाए ।	शिक्षा विभाग इस विषय में पूरे सोच-विचार के साथ तथा जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारों के परामर्श के साथ एक निश्चित कार्यक्रम बनाए और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग अपने नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए।	
13	साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यों को हिंदी का भी ज्ञान हो ।	भर्ती के लिए साक्षात्कार में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी का विकल्प भी उपलब्ध हो तथा इस विषय में साक्षात्कार पत्र में स्पष्ट रूप से उम्मीदवार को साक्षात्कार की भाषा के बारे में विकल्प सूचित करने के लिए कहा जाए । चयन बोर्ड के गठन संबंधी सिफारिश भी सिध्दांत रूप में स्वीकार कर ली गई कि चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि हिंदी में साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी से हिंदी में ही बातचीत की जा सके। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस विषय में सभी मंत्रालय/विभागों को समुचित	

		निदेश जारी करे ।	
14	ऐसे संस्थानों, जो किसी-न-किसी रूप में भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त हिंदी माध्यम का विकल्प प्रदान किया जाए । शिक्षा विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि हिंदी भाषा का विकल्प प्रवेश परीक्षाओं में तुरन्त दिया जा सके । इंजीनियरिंग तथा कृषि की शिक्षा में हिंदी माध्यम के विकल्प के विषय में समिति की सिफारिश सिद्धांत रूप में मान ली गई है तथापि इस विषय में विभिन्न संस्थानों को छूट दी जाए कि वे हिंदी माध्यम का विकल्प देने के लिए परिस्थितियों को देखते हुए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं । शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने नियंत्रणाधीन संस्थानों को इस बारे में समुचित निदेश दें तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं ।	आयुर्विज्ञान की शिक्षा भी निकट भविष्य में हिंदी माध्यम से प्रारम्भ करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास किए जाएं तथा पाठय-सामग्री और साहित्य का निर्माण कराया जाए । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस विषय में समुचित कार्रवाई करे और इसके लिए एक समयबद्ध योजना बना कर उसके अनुसार कार्रवाई करे ।	
15	सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, हिंदी माध्यम से ही सम्पन्न होना चाहिए ताकि हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियों के लिए हिंदी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो। कम से कम क तथा ख क्षेत्र में स्थिति प्रशिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था तुरन्त लागू की जानी चाहिए। यदि इन प्रशिक्षण संस्थानों में आने वाले कुछ कर्मचारियों को हिंदी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान न हो तो उन्हें वहां प्रशिक्षण के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भेजा जाए ।	क तथा ख क्षेत्रों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में यह सिफारिश सिध्दांत रूप में मान ली गई है । राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों से दिनांक 11-11-1987 के कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में एक निर्धारित समय सीमा में इसके कार्यान्वयन हेतु निदेश जारी किए जाएं ।	
16	यदि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान न हो और उन्हें	सभी मंत्रालयों/विभागों को इसके कार्यान्वयन को	

	सेवा के शुरू में ही प्रशिक्षण लेना हो तो उनके लिए पहले हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।	सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं ।	
17	जहां दीर्घावधि के प्रशिक्षण पाठयक्रम चलाए जाते हैं वहां संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में ही हिंदी का गहन प्रशिक्षण पाठयक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि हिंदी न जानने वाले नए कर्मचारीगण हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यावसायिक शिक्षण ले सकें ।	राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए जाएं ।	
18	जहां-जहां भी संभव हो वहां और विशेषकर 15 दिन या इससे अधिक की अवधि के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति और इस संबंध में जारी किए गए नियमों, आदेशों आदि की जानकारी भी करा दी जानी चाहिए ।	राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निदेश जारी किए जाएं ।	
19	अनेक मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्षेत्र से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से पुस्तकें लिखने अथवा अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए चालू की गई प्रोत्साहन योजनाओं को अधिक उदार और आकर्षक बनाया जाना चाहिए और जिन मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी योजनाएं शुरू नहीं की है उन्हें भी इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए।	राजभाषा विभाग द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी किए जाएं ।	
20	केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्ता सक्षम अधिकारियों तथा प्राध्यापकों के दीर्घ अनुभव और योग्यता का लाभ उठाते हुए उन्हें भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे भी कुछ चुने हुए विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिख सकें ।	सभी मंत्रालयों/विभागों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निदेश जारी किए जाएं ।	
21	रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विदेशी भाषा विद्यालय में विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद करने का प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि विदेशी भाषाओं के	इसके लिए रक्षा मंत्रालय स्थिति का मूल्यांकन करे और विदेशी भाषा विद्यालय को उपर्युक्त व्यवस्था करने के लिए समुचित संसाधन	

	मैनुअल आदि का सीधे हिंदी में ही अनुवाद किया जा सके।	उपलब्ध कराए ।	
22	विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत जिन प्रशिक्षकों को हिंदी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान नहीं है उन्हें हिंदी सिखाने का प्रबंध किया जाना चाहिए । प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रबंध राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है ।	राजभाषा विभाग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रम चलाए और इनकी सूचना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तथा उनके अधीन प्रशिक्षण संस्थानों को दे ताकि सभी प्रशिक्षकों को हिंदी का अपेक्षित स्तर का ज्ञान कराया जा सके ।	
23	क तथा ख क्षेत्र में कार्यरत हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कुछ समय के लिए यदि ग क्षेत्र में भी प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से देने के लिए भेजा जाए तो ग क्षेत्र में भी प्रशिक्षण केन्द्रों में हिंदी माध्यम का उपयोग करना सुविधाजनक हो जाएगा । ऐसे प्रशिक्षकों को ग क्षेत्र में कार्य करने के की अवधि के दौरान विशेष एवं आकर्षक वेतन दिया जाना चाहिए ।	क तथा ख क्षेत्र में कार्यरत प्रशिक्षकों को ग क्षेत्र में कार्य करने के लिए आकर्षित करने हेतु विशेष वेतन आदि के संबंध में राजभाषा विभाग वित्ता मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के पश्चात् समुचित कार्यवाई करें ।	
24	राजभाषा विभाग को सशक्त और साधन-सम्पन्न बनाया जाए, ताकि वह न केवल समिति के प्रतिवेदनों पर समुचित तथा शीघ्र कार्रवाई कर सकें, बल्कि राजभाषा नीति के सुचारू अनुपालन को भी सुनिश्चित कर सकें।	राजभाषा विभाग देश में व्याप्त कठिन आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस विषय में अपने प्रस्ताव पुन: निर्धारित करें और व्यय विभाग के परामर्श के साथ उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।	

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.10 में सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प का प्रस्ताव।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 18.12 में सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को समाप्त करने के बारे में सिफारिश।

2.6 संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप समितियों ने देश के विभिन्न भागों में स्थित सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की जो समीक्षा की उसके संबंध में प्रतिवेदन का चौथा खंड नवंबर, **1989** में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। इस खंड को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार अगस्त, **1990** में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया और इसकी प्रतियाँ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय आमंत्रित करने के लिए भेजी गई जिनसे प्राप्त मतों पर विचार करने

के बाद समिति की विभिन्न 18 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत कुल 27 संस्तुतियां दी थी इनमें से पांच संस्तुतियों को कुछ/आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया और तीन संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया । जिन संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया वे निम्न हैं

आंशिक संशोधन के साथ:

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**आंशिक संशोधनों के साथ**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	प्रत्येक मंत्रालय/विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करे।	वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में वर्तमान में लगाये गये प्रतिबंध को हटाने के बाद ही ऐसे सम्मेलन आयोजित किये जायें । इस संबंध में राजभाषा विभाग यथासमय निर्देश जारी करे ।	समिति इस संस्तुति की पुन: अनुशंसा करती है ।
2	प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए अलग-अलग हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाए । उसका समय-समय पर पुनर्गठन किया जाए, वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाएं तथा समितियों की सिफारिशों पर ठोस रूप से यथासमय अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ।	जो बहुत छोटे-छोटे मंत्रालय/विभाग हैं, उनमें संयुक्त रूप से हिंदी सलाहकार समिति गठित की जाए । शेष मंत्रालयों/विभागों की अलग-अलग हिंदी सलाहकार समितियां गठित की जाएं । राजभाषा विभाग इस परिप्रेक्ष्य में पुन: समीक्षा करके नीति निर्धारित करे ।	
3	भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय द्वारा बुलाई गई बैठकों, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त आदि एवं अन्य पत्राचार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए ।	केवल क क्षेत्र में परिचालित होने वाली कार्यसूची/कार्यवृत्त आदि एवं संबंधित पत्राचार केवल हिंदी में परिचालित किए जा सकते हैं । इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक निदेश जारी करे ।	
4	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा क तथा ख क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और ग क्षेत्र में भी हिंदी में तार भेजने की शुरूआत की जाए।	उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में क तथा ख क्षेत्र की तरह ग क्षेत्र को भेजे जाने वाले तारों का लक्ष्य निर्धारित करे और सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को निदेश जारी करके उनका अनुपालन सुनिश्चित कराए ।	

5	सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियों पर लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि भी हिंदी में अवश्य होने चाहिए, वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नाम भी दोनों भाषाओं - हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए । इसके अतिरिक्त क और ख क्षेत्र में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं ।	क व ख क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं तथा ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा-संभव हिंदी में की जाएं । इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए निदेश पुन: सभी मंत्रालय/ विभागों/कार्यालयों आदि को परिचालित किये जाएं ताकि समिति की इन सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।	समिति इस संस्तुति की मूल रूप से दी गई संस्तुति अनुसार आदेश जारी करने की फिर से अनुशंसा करती है ।

अस्वीकृत संस्तुतियां :

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**आदेश**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	समिति ने यह सिफारिश की है कि "क" क्षेत्र में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दस्तावेज (संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़का) केवल हिंदी में जारी किए जाएं ।	राजभाषा अधिनियम, **1963** की धारा **3(5)** में किए गए प्रावधानों के अनुसार जब तक ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार करने के बाद ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हरेक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता, तब तक धारा **3(3)** की स्थिति यथावत् बनी रहेगी । अत: वर्तमान में समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार करना संभव नहीं है ।	समिति पुन: मूल सिफारिश को दोहराते हुए इसे मूल रूप में की गई सिफारिश अनुसार आदेश जारी करने की अनुशंसा करती है ।

2	समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रत्येक कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें बुलाई जाएं ।	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई । तथापि, समिति की उक्त सिफारिष के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध करे कि वे तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष में 4 बैठकों (प्रत्येक तिमाही में एक) का कारगर ढंग से आयोजन करने की अनिवार्यता को सुनिश्चित करें तथा इन बैठकों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श/समीक्षा भी सुनिश्चित करे।	समिति ने अपने निरीक्षणों में यह अनुभव किया है कि तिमाही बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू करने में कोताही बरती जाती है । अत: कार्यालय प्रधान प्रत्येक माह तिमाही बैठक के निर्णयों की समीक्षा करे तथा उसका उल्लेख तिमाही बैठक के कार्यवृत में हो ।
3	समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे और तीसरे खण्ड में की गई अपनी इस सिफारिश को दोहराया है कि देश की एकता और अखण्डता के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभाग के दायित्व व महत्व को देखते हुए भारत सरकार राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करे, उसे और अधिक सुदृढ़ बनाए और उसे एक मंत्रालय का दर्जा दे जिससे भारत सरकार की राजभाषा नीति को उसके सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों तथा स्वायत निकायों में प्रभावी और कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सके ।	गृह मंत्रालय के महत्व, कार्य-क्षेत्र, एवं विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इसके सम्पर्क को देखते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के ही अन्तर्गत रखा जाए । अत: समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है । तथापि, समिति की सिफारिशों के अनुसार राजभाषा विभाग को और अधिक सुदृढ़ और समक्ष बनाया जाए ।	

2.7 समिति के प्रतिवेदन के पाँचवे खंड में राजभाषा विभाग का सुदृढीक़रण तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग, विधेयकों आदि के पुर:स्थापन के लिए मूल प्रारूपण की भाषा, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों द्वारा संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन, उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के

कार्यालय में राजभाषा नीति के अनुपालन, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा के प्रयोग, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग, उच्च न्यायालयों के निर्णयों/कार्यवाहियों में भाषाओं के प्रयोग, संघ के अर्ध्द न्यायिक संगठन, प्रशासनिक अभिकरण आदि में राजभाषा नीति के अनुपालन और हिंदी माध्यम से विधि की शिक्षा के संबंध आदि में कुल 22 सिफारिशें की गईं। यह खंड महामहिम राष्ट्रपति जी को मार्च, 1992 में प्रस्तुत किया गया। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इसे व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखा गया। इसकी प्रतियाँ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनकी राय के लिए भेजी गईं। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं के अतिरिक्त भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद विधि व्यवस्थाओं तथा व्यावहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए नौ सिफारिशों को मूल रूप से, छः सिफारिशों को सिध्दांत रूप में, तीन सिफारिशों को संशोधित रूप में और निम्न चार सिफारिशों को अस्वीकार करते हुए राजभाषा विभाग के 24 नवंबर, 1998 के संकल्प सं.1/20012/4/92-रा.भा.(नी.1) के अंतर्गत इस खंड पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

कुछ संशोधन के साथ स्वीकृत:

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**संशोधनों के साथ**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना करने वाले हिंदी में प्रवीण अधिकारियों के विरुध्द कठोर कार्रवाई की जाए ।	राजभाषा विभाग ऐसे आदेश जारी करे कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर उप सचिव एवं समकक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित एवं उत्साहित करें।	समिति का यह अनुभव रहा है कि इस सिफारिश को मूल रूप में ही लागू किया जाए तो हिन्दी के प्रयोग में वांछित प्रगति हो सकेगी।
2	भारत सरकार का विधायी विभाग अपने प्रारूपकारों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि वे विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण हिंदी में कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि विधि का हिंदी में कार्य करने के लिए पृथक विभाग बनाया जाए । योग्य और अनुभवी लोगों को आकर्षित करने के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रारूपकारों को भारतीय	भारत सरकार का विधायी विभाग, विधि विशेषज्ञों/ प्रारूपकारों को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपण हिंदी में करने के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करें ।	

	विधिक सेवा में एक पृथक अंग के रूप में सम्मिलित किया जाए ।		
3	उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठयक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए ।	क क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक विचार एवं कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए तथा अन्य उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में उचित समय आने पर संबंधित राज्य सरकारों तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस पर कार्रवाई करने पर विचार करें।	

सिद्धांत रूप में स्वीकृत :-

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**सिध्दांत रूप में**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	राजभाषा विभाग में इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की कार्रवाई पर निगरानी रखने और इनका कार्यान्वयन कराने के लिए एक प्रभाग की स्थापना तुरन्त की जानी चाहिए ।	राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों समेत अपनी कार्यान्वयन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव व्यय विभाग के साथ उठाए तथा उस पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।	समिति मूल सिफारिश को पुन: दोहराते हुए अनुशंसा करती है कि समिति के प्रतिवेदनों पर हुए आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था हो ।
2	संसद के किसी भी सदन में पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक या संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों, संकल्पों, विनियमों या उप-विधि का मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाना चाहिए । संसद के किसी भी सदन में पुर:स्थापित हिंदी पाठ मूल पाठ हो और अंग्रेजी अनुवाद अधिप्रमाणित पाठ के रूप में तब तक बनाया जाता रहे जब तक कि उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहता है । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(2) में तदनुसार संशोधन किया जाना	इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम रणनीति में विधायी विभाग विधि विशेषज्ञों/प्रारूपकारों को हिंदी में विधिक सामग्री के प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ।	

	चाहिए ।		
3	हिंदी भाषी राज्यों में भी इसी प्रकार विधेयक आदि का मूल प्रारूपण हिंदी में किया जाना चाहिए । उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता रहे । जब राज्य विधान-मंडलों में दोनों पाठ साथ-साथ पुर:स्थापित किए जाएं तो हिंदी पाठों को प्राधिकृत माना जाए।	अत: इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए क क्षेत्र में स्थित सभी राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।	
4	जहां तक अहिंदी भाषी राज्यों का संबंध है वहां विधेयकों आदि का मूल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो और उनका अनुवाद हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में हो । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 में भी इस आशय का मामूली संशोधन कर दिया जाए।	इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए ख तथा ग क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।	
5	एक ऐसा संस्थान या संगठन स्थापित किया जाना चाहिए, जो न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विधि-शिक्षकों को विधि के क्षेत्र में अर्थात् विधायन, न्यायिक कार्य और विधि शिक्षा के लिए हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दे।	भारत सरकार के विधायी विभाग द्वारा इस दिशा में आवश्यक पहल की जाए।	
6	यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य निर्णयों को हिंदी में अनुवादित कर विधायी विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए । इसी प्रकार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रतिवेद्य निर्णयों को भी अधिकाधिक संख्या में अनुवाद करके उन्हें हिंदी में प्रकाशित किया जाना चाहिए ।	विधायी विभाग इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक कदम उठाए ।	

अस्वीकृत सिफारिशें:

क्रम सं0.	**संस्तुति**	**आदेश**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का पुनर्गठन करके उसे संपूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हुए अधिक सुदृढ और सक्षम बनाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की	राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्य क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक	

	जानी चाहिए।	प्रतीत नहीं होता है ।	
2	समिति के प्रतिवेदन के चौथे खंड के पैरा 41.21 में की गई अनुशंसा के अनुसार जब तक राजभाषा विभाग के संपूर्ण मंत्रालय का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर किये गये आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य भी यह समिति करती रहे ।	राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिशों पर किए गए आदेशों के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य राजभाषा विभाग करे । इसके लिए आवश्यकतानुसार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाए ।	
3	महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों की अवहेलना करने वाले हिंदी में प्रवीण अधिकारियों के विरुध्द कठोर कार्रवाई की जाए ।	राजभाषा विभाग ऐसे आदेश जारी करे कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर उप सचिव एवं समकक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित एवं उत्साहित करें ।	
4	उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्रियों व आदेशों में राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, किन्तु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो। जब तक अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है तब तक इनका प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है। तथापि उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियां राज्य की राजभाषा में अथवा हिंदी में या अंग्रेजी में की जा सकती है ।	इस संस्तुति पर संविधान तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है।	

2.8 समिति ने अपने प्रतिवेदन का छठा खंड नवंबर, 1997 में महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया। इस खंड में प्रतिवेदन के पहले चार खंडों की उन 26 सिफारिशों (पहले खंड की 6, दूसरे खंड की 7, तीसरे खंड की 11, चौथे खंड की 2) पर जिन पर पूर्व में आदेश नहीं हुए थे अथवा जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था, उन पर पुन: आदेश जारी करने की सिफारिश के साथ 80 नई संस्तुतियां प्रस्तुत की गई थी जिनमें संघ सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच और संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में संघ तथा राज्य

की राजभाषाओं के प्रयोग, विदेशों में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतन वृध्दि, राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हिंदी पदों के संबंध में मानक निर्धारित किए जाने आदि के संबंध में सिफारिशें की गई हैं। इन नई 80 सिफारिशों में से 54 सिफारिशों को मूल रूप में स्वीकृत किया, शेष 6 सिफारिशों को सिध्दांत रूप में, 2 को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करते हुए कुल 18 सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया था जो निम्न प्रकार से हैं:-

सिद्धांत रूप में

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**सिद्धांत रूप में**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	ग क्षेत्र के कार्यालय में प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाए व उनका ज्यादा अच्छा लाभ उठाया जाए ।	राजभाषा विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए ।	
2	विधान मंडलों में होने वाले समस्त विधायी कार्य तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों, संकल्पों, नियमों आदि का प्रारूपण रूप से हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा में किया जाए और जहां अपरिहार्य हो, वहां उसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाए । किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा के पाठ को ही प्रमाणित माना जाए ।	इसका संबंध राज्य सरकारों से है । अत: इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जाए ।	
3	ग क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से क, ख और ग क्षेत्र में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की भारतीय भाषा जैसा कि आपस में सहमति हो, होनी चाहिए । किसी कारणवश यदि इस मुद्दे पर आपसी सहमति न हो पाए तो कुछ अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जा सकती है।	इस पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जाए । राजभाषा विभाग द्वारा समुचित निदेश जारी किए जाएं ।	
4	जब कभी भारत सरकार के अधिकारी विदेशों में जाएं तो जिन	इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की	

	देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है वहां उन्हें अंग्रेजी के द्विभाषिए लेने के बदले हिंदी तथा उस देश की भाषा के द्विभाषी ही लेने चाहिए ।	जाए।	
5	सभी स्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में राजभाषा हिंदी में काम करने के संबंध में विवरण देने के लिए अलग से कालम बनाया जाना चाहिए और उसमें तत्संबंधी विवरण भी अवश्य दिए जाने चाहिए।	राजभाषा विभाग समूचित कार्रवाई करे ।	
6	राजभाषा नीति तथा तत्संबंधी आदेशों को लागू कराने के लिए राजभाषा विभाग को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ।	राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए ।	

संशोधित रूप में स्वीकृत :-

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**संशोधित रूप में**	
1	मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन यथासमय किया जाए तथा इसकी अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बैठकें की जाएं।	हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें औसतम वर्ष में एक से ज्यादा करना व्यावहारिक नहीं है । इसलिए मंत्री स्तर पर ली जाने वाली ये बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार भी की जाएं तो वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकती हैं ।	समिति ने निरीक्षणों के दौरान यह देखा है कि संबंधित मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में ही काफी वक्त लग जाता है इसलिए समिति की यह राय है कि मंत्री स्तर पर बैठक समय पर हो तो इसके दूरगामी अच्छे परिणाम मिलेंगे ।
2	कई नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है । अत: समिति का सुझाव है कि इन्हें विभाजित कर इनके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 40 रखी जाए और तद्नुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं ।	जिन समितियों की सदस्य संख्या 150 या इससे अधिक हो, उन्हें दो भागों में बांटा जाए । राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय के निदेश जारी किए जाएं ।	

अस्वीकृत सिफारिशें :

क्रम सं0.	छठे खंड की संस्तुति संख्या	संस्तुतियां	आदेश	समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति
1	11.5.13	सभी भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए । सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो जहां अपरिहार्य हो वहीं अभ्यार्थी को उत्तार देने के लिए अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया जाए। साक्षात्कार के लिए भी यही नियम लागू हो ।	साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प देने के लिए पहले से विद्यमान हैं । लेकिन अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने तथा सभी भर्ती परीक्षाओं का माध्यम हिंदी करने संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रतिकूल है।	भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए समिति पुन: अनुशंसा करती है ।
2	11.6.4	कहीं से भी हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तार हिंदी में दिए जाने की व्यवस्था की जाए ।	समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 346 में निहित प्रावधानों के अनुसार पत्रादि में राजभाषा का प्रयोग किया जाना है ।	
3	11.6.7	हिंदी के माध्यम के रूप में, प्रत्येक स्तर पर, हिंदी और संबद्ध राज्य की राजभाषा को अपनाया जाए ।	समिति की यह सिफारिश स्पष्ट नहीं है ।	
4	11.6.8	राज्य स्तर पर सभी इलैक्ट्रानिक यंत्र/संयंत्र/कम्प्यूटर आदि द्विभाषी रूप में या केवल हिंदी में उपलब्ध कराए जाएं और उनका भरपूर इस्तेमाल हिंदी कार्य के लिए किया जाए ।	समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई ।	
5	11.6.10	केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि को टेलेक्स, टेलीप्रिंटर आदि पर सूचनाएं हिंदी में भिजवाने की व्यवस्था की जाए और	समिति की उक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की गई ।	

		अधिकधिक तार/फैक्स आदि भी देवनागरी में ही भिजवाने की व्यवस्था की जाए ।		
6	11.6.12	राज्य सरकारों को हिंदी शिक्षण योजना चलाने व हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्ताीय व अन्य संसाधनों द्वारा सहायता देने की योजना तैयार कर उसे लागू किया जाए।	पूर्व में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप एक भी राज्य आगे नहीं आया । इसलिए समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।	
7	11.6.13	"ग" क्षेत्र के राज्यों को भी पंजाब, गुजरात व महाराष्ट्र की भांति अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।	समिति की इस सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार कार्रवाई करने की वर्तमान नीति पर्याप्त है ।	
8	11.10.3	प्रवीणता प्राप्त व हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को कार्यशालाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने का प्रशिक्षण देने के बाद उनसे हिंदी में कार्य लिया जाये । वे हिंदी में अपना काम शुरू करते हैं तो उन्हें स्थायी रूप से अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए ।	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है । अत: समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	
9	11.10.7	जिन कर्मचारियों को भारत सरकार के मंत्रालय/ अधीनस्थ कार्यालय/सम्बद्ध कार्यालय/ उपक्रम आदि, कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए हिंदी, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि/अनुवाद प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजते हैं, वह नियमित रूप से प्रशिक्षण लें और परीक्षा उत्ताीर्ण करने के बाद उनसे अपने सरकारी काम का 50 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना अनिवार्य हो । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जितने	वर्तमान में दण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है । अत: समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई ।	

		दिन उन्होंने प्रशिक्षण लिया और उनके प्रशिक्षण पर आने वाले खर्च की आपूर्ति उस कर्मचारी के वेतन से कटौती करके करनी चाहिए ।		
10	11.10.8	जो व्यक्ति हिंदी में सारा कार्य करता है और वह किसी विभागीय परीक्षा में भाग लेता है तो उसके साक्षात्कार के समय उसको हिंदी में कार्य करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिए और उसे विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भी विशेष वरीयता दी जानी चाहिए।	भारत एक बहुभाषी देश है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं । अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है । समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई ।	
11	11.10.10	..... विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों व सेवा नियमों के अनुसार समिति ने यह देखा .....अत: संघ की सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में भी इस प्रकार संशोधन किया जाए, ताकि भविष्य में जितने भी नये कर्मचारी भर्ती हों उनके लिए परिवीक्षा अवधि में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर लेना अनिवार्य हो ।	हिन्दी - प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में आदेश पहले से ही विद्यमान हैं । भारत संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना पर आधारित है । इसके अंतर्गत दंड की कोई व्यवस्था नहीं है।	
12	11.10.12	लिपिक/टंकक/आशुलिपिक कर्मचारियों से ऊपर के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति में भी उपरोक्त पध्दति को अपनाया जाना चाहिए । राजभाषा को उसका उचित स्थान देने के संबंध में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए । जिस विभाग में सारा काम हिंदी	भारत एक बहुभाषी देश है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सभी भाषा समूहों से आते हैं । अतएव ऐसा भेदभाव करना संभव नहीं है । मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों आदि में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं।	

		में होने लगे तो उस विभाग के संबंधित अधिकारी को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाना चाहिए।		
13	11.10.15	सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य पर निगरानी का कार्य कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा जाए ।	समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि सभी कार्यालयों में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नहीं होते हैं । अत: वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ।	
14	11.10.19	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिसमें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सारा काम हिंदी में करने के लिए आदेश दिए जा सकें तथा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए काम की कुछ मदें निर्धारित कर दी जाएं जिन्हें वे हिंदी में करें ।	राजभाषा नियम, 1976 8(4) के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है । अत: समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	
15	11.10.21	द्विभाषी इलेक्ट्रानिक यंत्रों पर किए जाने वाले कार्य में से हिंदी के कार्य की प्रतिशतता निर्धारित की जाए ।	राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तदनुसार ही द्विभाषी इलैक्ट्रानिक उपकरणों पर हिंदी में कार्य किया जाना है । इसके लिए अलग से प्रतिशत निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।	
16	11.10.22 व 11.10.23	"क" और "ख" क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में केवल हिंदी में छपे या तैयार किए फार्मों और मानक मसौदों का उपयोग किया जाएगा ।	राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अत: समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार नहीं की	

			गई ।	
17	11.10.25	राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में संशोधन किया जाए जिससे "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालों को उक्त धारा के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात केवल हिंदी में जारी किए जा सकें ।	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(5) में निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना संभव नहीं है । अत: समिति की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है।	
18	11.10.32	हिंदी दिवस वर्ष में एक बार मनाने के अलावा प्रत्येक कार्यालय द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए तो उस पत्र/आदेश आदि पर संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएं।	ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है । संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । अतएव यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई ।	

2.9 समिति ने 03 मई, 2002 को प्रतिवेदन का सातवाँ खंड महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया। यह खण्ड 03.12.2002 को लोक सभा तथा 11.12.2002 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन के सातवें खंड के कुल 4 भाग हैं। इसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु गठित विभिन्न समितियों की भूमिका की समीक्षा की गई है। इसके अलावा 01 जनवरी, 1997 से 31 दिसंबर, 2001 तक समिति द्वारा निरीक्षित विभिन्न कार्यालयों तथा गण्ामान्य व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य के पश्चात की स्थिति के आधार पर मंत्रालयवार व क्षेत्रवार मूल्यांकन भी इसी खंड में किया गया है। इसमें सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में लेखन का कार्य कैसे बढाया जाए और किस तरह से मौलिक लेखन को प्रोत्साहन दिया जाए इस पर भी चर्चा की गई है। इसी खंड में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए प्रचार-प्रसार के मुद्दे पर भी समिति ने अपनी सम्मति प्रकट की है। जिन मंत्रालयों व विभागों में प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों का कार्य होता है, उनमें हिंदी प्रकाशनों की उपलब्धता पर भी इसमें विचार किया गया है। साक्ष्य के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात प्राप्त सुझावों पर भी इसमें चर्चा की गई है। चूँकि समस्त विश्व वैश्वीकरण के दौर में चल रहा है अत: ऐसी स्थिति में राजभाषा हिंदी की स्थिति को लेकर भी यहाँ समिति ने अपनी राय व्यक्त की है। आज कंप्यूटरीकरण का युग है और इस कंप्यूटरीकरण के युग में हिंदी में कार्य करने को कैसे गति प्रदान की जाए इस पर भी विचार-विमर्श करते हुए समिति ने अपनी सम्मति दी है। इस खण्ड में समिति ने कुल **52** संस्तुतियां दी हैं जिनमें से **35** संस्तुतियों को स्वीकार किया गया**, 7** संस्तुतियों को कुछ संशोधन के साथ**, 3** संस्तुतियों को सिध्दांत रूप से स्वीकार करते हुए निम्नांकित **5** संस्तुतियों को अस्वीकार एवं **2** संस्तुतियों को विचाराधीन रखने के आदेश जारी किए गए ।

संशोधित रूप में स्वीकृत:-

क्रम सं0.	सिफारिश	संशोधन के साथ	समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति
1	केन्द्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन निश्चित समय पर प्रत्येक तीन वर्ष पर अवश्य किया जाए ।	केन्द्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष का होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसका कार्यकाल बढ़ाया अथवा कम भी किया जा सकता है ।	
2	हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन सही समय पर होना चाहिए तथा बैठकें नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जानी चाहिएं ।	सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति का गठन/पुनर्गठन समय पर करे और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें करें ।	
3	सभी सरकारी कार्यालयों में पुस्तकालय/बुक क्लब आदि की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हिंदी का सरल, सुबोध व रुचिकर साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए । पाठकों को हिंदी के पठन-पाठन के प्रति आकर्षित करने के लिए उन्हें उचित अवसरों पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जाने वाले पुरस्कारों की न्यूनतम राशि एक हजार रुपये की जानी चाहिए और पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए ।	सभी कार्यालय अपने पुस्तकालय अनुदान की राशि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लख्य के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च करें और अपने कार्मिकों को उनके पठन-पाठन के प्रति प्रेरित करें । पुरस्कारों की राशि और संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।	
4	गैर सरकारी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशनों के प्रकाशन की अनुमति देते समय यह पाबंदी अवश्य लगाई जाए ताकि वे केवल अंग्रेजी भाषा	जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए ।	

	में उन्हें प्रकाशित न करें बल्कि इन प्रकाशनों को डिग्लाट में हिंदी-अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से छापें ।		
5	अवर सचिव व इसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों की प्रबंधकीय दक्षता के उन्नयन हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षणों को हिंदी में आयोजित किया जाए ।	सभी सेवा-कालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखत: हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणत: मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए ।	
6	अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले डिक्टेशन व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें तथा उनका अभिलेख (लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय स्तर पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जाए ।	जिन अधिकारियों के पास हिंदी आशुलिपिकों की सुविधा उपलब्ध है वे उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें । राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा हिंदी में दी जाने वाली डिक्टेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए ।	
7	निजी प्रकाशकों को सरकारी प्रकाशन छापने के पूर्व उन्हें सरकारी द्वारा प्रकाशन के अधिकारी (कापीराइट) की अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए । यदि ऐसा प्रावधान पहले से विद्यमान है तो सरकार अथवा इसके किसी विभाग द्वारा कापीराइट हस्तांतरित करने की अनुमति देने के समय संबंधित सामग्री को द्विभाषी मुद्रित कराने की शर्त का प्रावधान किया जाना चाहिए । यदि पुस्तक के आकार के कारण डिग्लाट रूप में छापना असुविधाजनक हो तो ऐसी स्थिति मे अंग्रेजी	जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी प्रकाशनों को डिग्लॉट रूप में छपवाया जाए ।	

	संस्करण के आवरण पृष्ठ पर विशेष रूप् से य उल्लेख किया जाए कि प्रकाशन/वितरक के पास इस संस्करण का हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध है ।		

सिद्धांत रूप में स्वीकृत:

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**आदेश**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर देश के भीतर एवं बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/संगोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों का आयोजन किया जाना चाहिए ।	सभी कार्यालय अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्यक्रम, संगोष्ठी आदि आयोजित करें ।	
2	हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करवाने के लिए राजभाषा विभाग कोई पाठयक्रम तैयार करें एवं उचित व्यवस्था हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के माध्यम से ठोस कदम उठाएं ।	राजभाषा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एक समुचित पाठयक्रम तैयार करने की व्यवस्था करे ।	
3	इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण कार्य छह माह से एक वर्ष की समयावधि में पूरा किया जाए। प्रशिक्षण कार्य की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर विधायी प्रारूपण का कार्य हिंदी में प्रारंभ किया जाए । इस प्रयोजन के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार किया जाए ।	विधायी विभाग इसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु समयबध्द कार्य-योजना तैयार करें ।	

विचाराधीन संस्तुतियां :

क्रम सं0.	**सातवें खण्ड की संस्तुति**	**संस्तुति**	**आदेश**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**

	संख्या			
1	16.9(क)	किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए जो न केवल संसदीय राजभाषा समिति में स्थायी रूप से आमंत्रित रहेंगे बल्कि केन्द्रीय हिंदी समिति के भी स्थायी सदस्य रहेंगे । इसके लिए हिंदी के किसी विद्वान या हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़े व अनुभवी व्यक्ति की सेवाएं लेना उचित होगा ।	यह संस्तुति विचाराधीन है।	
2	16.10 (2)	भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन एक अतिरिक्त प्रकोष्ठ का गठन कर उसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे जाएं। (क) यह प्रकोष्ठ सभी मंत्रालयों/ विभागों के सरकारी प्रकाशनों के मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के कार्य में समन्वय स्थापित करेगा तथा इस प्रकार प्रकाशित साहित्व की सर्व सुलभता सुनिश्चित करेगा। (ख) विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों/ विभागों/ संस्थानों में हिंदी प्रकाशनों की कमी को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगा तथा इस क्षेत्र में मौलिक लेखन तथा अन्य भाषाओं में उपलब्ध आवश्यक सामग्री का स्तरीय अनुवाद करने का कार्य सुनिश्चित करेगा। (ग) यह प्रकोष्ठ समस्त सरकारी प्रकाशनों को वर्गीकृत करते हुए एक सूची का संकलन करेगा तथा नियमित रूप से इसका	क से च : ये संस्तुतियां विचाराधीन है ।	

		प्रकाशन करेगा। इसके अतिरिक्त नवीन हिंदी प्रकाशनों की उपलब्धता तथा इसके स्रोतों की जानकारी देते हुए इसमें संशोधनों आदि की ताजा जानकारी उपलब्ध कराते हुए एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करेगा। (घ) प्रकोष्ठ अपने इस प्रयोजन के लिए एक वेबसाइट निर्मित कराएगा तथा इस पर सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता के साथ-साथ हिंदी के प्रचार एवं प्रसार से संबंधित बाजार में विभिन्न सापऊटवेयरों आदि की जानकारी आदि प्रदान करेगा। (च) यह प्रकोष्ठ मंत्रालयों/ विभागों /सरकारी उपक्रमों में हिंदी प्रकाशनों को उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव मदद एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा।		

अस्वीकृत संस्तुतियां :

क्रम सं0.	**सातवें खण्ड की संस्तुति संख्या**	**संस्तुति**	**आदेश**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	16.5 (ग)	केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष तथा तीनों उपसमितियों के संयोजकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।	केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केवल सरकारी अधिकारियों की समिति है अत: यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई ।	
2	16.5(ट)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाएं तथा वर्ष में आयोजित होने वाली चार बैठकों में से कम से कम दो बैठकों में कार्यालय के अध्यक्ष	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में दो बैठकें अपेक्षित हैं इन बैठकों में कार्यालय अनिवार्य रूप से भाग लें इस संबंध में	

		अनिवार्य रूप से स्वयं भाग लें और बैठकों में लिए गए निर्णय का पूर्ण रूप से अपने कार्यालय में अनुपालन कराएं।	राजभाषा विभाग समुचित निर्देश जारी करें ।	
3	16.5(ठ)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अलग-अलग कार्यालयों में आयोजित की जाए तथा अंतिम बैठक समिति के अध्यक्ष के कार्यालय में ही आयोजित की जाएं और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और उन्हें सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं पाई गई है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करना, बैठक स्थान व अन्य संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।	
4	16.5(ड)	विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बड़ी सदस्य संख्या को देखते हुए ऐसे नगरों में जहां एक ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तीन उपसमितियों में विभाजित कर तीन अलग-अलग संयोजक बनाए जाएं एवं उनका अध्यक्ष एक ही हो ताकि सभी सदस्य कार्यालयों में हिंदी के अनुकूल वातावरण बने और राजभाषा नियमों के प्रति जागरूकता आए ।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड-6 में की गई संस्तुति संख्या 11.5.17 पर आदेश दिया गया है कि ऐसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को, जिनकी सदस्य संया 150 या इससे अधिक है दो भागों में बांटा जाए । इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन करना सामयिक नहीं है ।	
5	16.8(ग)	राजभाषा हिंदी में प्रारूपण करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार्य नहीं की गई है क्योंकि प्रारूपकार नियमित सरकारी कर्मचारी है ।	

2.9.1 समिति ने दिनांक 16.08.2005 को प्रतिवेदन का आठवाँ खंड महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया। यह खंड हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड, मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के संबंध राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति के मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी

माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित है।

यह खंड 15 मई, 2007 को लोक सभा और 16 मई, 2007 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। तत्पश्चात इस खंड की प्रतियां सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सिफारिशों के संबंध में उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गईं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यक्त मतों पर विचार करने के बाद कुल 82 सिफारिशों में से 47 सिफारिशों को मूल रूप में, 21 सिफारिशों को संशोधन के साथ, 2 सिफारिशों को विचाराधीन रखते हुए शेष 12 सिफारिशें को स्वीकृत नहीं किया गया।

संशोधित रूप में स्वीकृत:

क्रम सं0.	**सिफारिश**	**आदेश**	**समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति**
1	(ख) प्रशिक्षण संस्थानों के मुख्य अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने वहां हिंदी के प्रयोग के लिए क्या विशेष कार्रवाई की ।	यह सिफारिश स्वीकार की जाती है । सिफारिश हिंदी के प्रयोग को बढावा देने के लिए केवल सकारात्मक (positively) रूप से लागू की जाए। इस प्रकार के उल्लेख से किसी अन्य अधिकारी का कोई अहित न हो ।	
2	(ग) उच्च न्यायालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए । आरंभ में "क" क्षेत्र में सभी निर्णय हिंदी में ही दिए जाए तथा धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में इन्हें लागू किया जाए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि राजभाषा विभाग विधायी विभाग तथा 18वें भारतीय विधि आयोग का परामर्श लेकर इस संबंध में उचित निर्णय लें ।	
3	(घ) हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जाएं ।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/ विभाग हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें तो अवश्य आयोजित करें। इससे अधिक बैठकों के आयोजन के लिए भी प्रयास करें ।	
4	परमाणु ऊर्जा विभाग; रसायन और	सिफारिश इस संशोधन के	

	उर्वरक मंत्रालय; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; गृह मंत्रालय; मानव संसाधन विकास मंत्रालय; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय ठेके के आधार पर इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद गैर-सरकारी एजेंसियों से करवाएं और इस कार्य को 6 से 9 महीनों के भीतर पूरा करवाएं ।	साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से पुनरीक्षण करवाया जाए ।	
5	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय; कोयला एवं खान मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; जल संसाधन मंत्रालय; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; वित्त मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय एक कार्य-योजना बनाकर 6 महीने के भीतर सभी कोड/मैनुअलों को द्विभाषी कर लें ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से पुनरीक्षण करवाया जाए ।	
6	विधि और न्याय मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; महासागर विकास विभाग; भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय अंग्रेजी में उपलब्ध कोड/मैनुअलों को स्वयं 3 महीने में अनुवाद कराने की व्यवस्था कराएं ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से पुनरीक्षण करवाया जाए ।	
7	"MÉ" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए भी रजिस्टरों में प्रविष्टयों का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाए और रजिस्टरों में हिन्दी में	सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि **"MÉ"** क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालय इस	

	यथासंभव प्रविष्टयों जैसा प्रावधान समाप्त कर दिया जाए।	दिशा में अपने यथासंभव प्रयास जारी रखे ।	
8	राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से हिन्दी/भाषा/ आशुलिपि/ टाइपिंग प्रशिक्षण का सघन अभियान चलाकर प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रत्येक कार्यालय तक पहुँचाए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत सरकार के सभी कार्मिकों को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपना यथासंभव सहयोग दे ।	
9	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि की सीमा रूपये 3000/- से बढाकर रुपये 10,000/- कर देनी चाहिए अथवा सदस्य कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले योगदान को कोड-बध्द (कोडिफाई) किया जाए] ताकि सदस्य कार्यालयों को इस राशि की मंत्रालयों/मुख्यालयों से स्वीकृति आदि प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए ।	
10	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्थाई तौर पर अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने सदस्य-कार्यालयों के सहयोग से उनके पास उपलब्ध आंतरिक संसाधनों से ही समितियों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाएं।	
11	प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा गतिविधियों को बढाने के उद्देश्य से हर वर्ष नराकास अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए तथा राजभाषानीति व लक्ष्यों के निर्धारण	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इस प्रकार की बैठकें वार्षिक आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की	

	के मामले में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।	जाएं ।	
12	नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए ।	
13	तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित हिन्दी साहित्य को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सरकार शीघ्र ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी पुस्तक -बैंकों की स्थापना करे जो ऐसी पुस्तकों/साहित्य को प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थानों को उपलब्ध कराएं अथवा उन्हें प्राप्ति स्रोतों की जानकारी दें।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्य से संबंधित तकनीकी, वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर पर्याप्त हिंदी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं उनके प्राप्ति स्रोतों की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अन्य संभव साधनों द्वारा प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ताओं को दें ।	
14	अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शोध साहित्य अथवा वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य का स्तरीय हिन्दी अनुवाद सुलभ कराने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के तहत् एक गहन वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की जाए, जिसमें विभिन्न प्रकार के विज्ञान विषयों के स्नातकोत्तर एवं/अथवा विभिन्न इंजीनियरी डिग्री धारकों को, जिन्हें हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान हो अथवा जो ऐसे विषयों का स्तरीय हिन्दी रूपान्तर देने में सक्षम हों, नियुक्त	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सिफारिश के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शोध साहित्य अथवा वैज्ञानिक अथवा तकनीकी साहित्य के स्तरीय हिंदी अनुवाद सुलभ कराने के उद्देश्य को प्रस्तावित राष्ट्रिय अनुवाद मिशन के द्वारा पूरा करे ।	

	किया जाए। ऐसे विशेषज्ञ तकनीकी अनुवाद अधिकारियों को सहायक निदेशक (रा0भा0) के समकक्ष अथवा इससे उच्चतर वेतनमान दिया जाए।		
15	उप सचिव या उन उच्चाधिकारियों के लिए जिन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया गया है, कम्प्यूटरों पर हिन्दी के उपयोग का कम से कम एक सप्ताह का क्रैश पाठयक्रम आयोजित किया जाये और "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्रों के आधार पर उनके लिए देवनागरी में कम्प्यूटर पर कार्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाये।	संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि उप सचिव/ उच्चाधिकारियों के लिए लघु अवधि के द्रुतगामी पाठयक्रम आयोजित किये जाए और वे कंम्प्यूटर पर देवनागरी में अधिक से अधिक कार्य करें ।	
16	प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग अपने अधीनस्थ/संबध्द/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/ संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा संवर्ग से देश भर में स्थापित अपने सभी छोटे बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/कर्मचारी को तैनात कर सकते हैं। इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।	यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए तथा जहां संभव न हों वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य उचित व्यवस्था की जाए ।	
17	विश्वविद्यालयों / तकनीकी/ व्यावसायिक / अनुसंधान संस्थाओं आदि की प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प अनिवार्य किया जाए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि विश्वविद्यालयों, तकनीकी, व्यावसायिक अनुसंधान संस्थाओं आदि की परीक्षाओं में उत्तर देने के लिए अन्य भाषाओं के साथ हिंदी को विकल्प रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श तथा राज्य सरकारों की सहमति	

		से उचित कार्रवाई करे ।	
18	रेडियो/ टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों के जरिए होने वाले शैक्षणिक प्रसारण केवल हिन्दी में सुनिश्चित किये जाएं क्योंकि इनकी पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक रहती है।	देश में भाषायी विविधता को देखते हुए संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि रेडियो/ दूरदर्शन के जरिए भारत सरकार द्वारा प्रयोजित शैक्षणिक प्रसारणों में हिंदी माध्यम के प्रसारणों को समुचित/पर्याप्त समयावधि प्रदान की जाए।	
19	केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थानों के विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यंत तकनीकी विषयों को छोड.कर सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिंदी माध्यम से पढाए जाने की व्यवस्था की जाए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखत: हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणत: मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए।	
20	उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नए उत्पादों और ब्रांडों के नाम हिंदी में ही रखे जाएं, ताकि अंतराष्ट्रिय जगत में उनकी अलग पहचान बनी रहे ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत में प्रचलित हिंदीतर नाम या वे नाम जो कि उत्पाद/ब्रांड की बेहतर जानकारी/पहचान देते हैं, को छोड़कर अन्य सभी उत्पाद/ब्रांड नाम हिंदी में रखे जाएं ।	
21	विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिन्दी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर किया जाए।	सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें ।	

विचाराधीन संस्तुतियां :

क्रम सं0.	सातवें खण्ड की संस्तुति संख्या	संस्तुति	समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति
1	28	राजभाषा से संबंधित नियमों इत्यादि के कार्यान्वयन को उचित गंभीरता से लेने के उद्देश्य से केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में करवाई जाए और सभी विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हों ।	
2	50	अनुवाद कार्य और राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी संवर्गों (चाहे वे मंत्रालय/विभाग में हों या अधीनस्थ कार्यालयों में) में पदनामों तथा वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए ।	

अस्वीकृत संस्तुतियां :-

क्रम सं0.	सातवें खण्ड की संस्तुति संख्या	संस्तुति	समिति की ओर से पुन: संस्तुति/अभियुक्ति
1	12	समिति के चौथे खंड में सिफारिश की थी कि "क" क्षेत्र में केवल संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़कर सभी कागजात केवल हिंदी में जारी किए जाएं । **"क"** क्षेत्र में अद्यतन स्थिति को देखते हुए समिति पुन: यह सिफारिश करती है कि उपर्युक्त कागजात के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात के संबंध में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए । जिन राज्यों में अभी तक हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है गृह मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे चर्चा की जाए कि वह अपने राज्य की राजभाषा के साथ-साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करें ।	
2	32	विज्ञान/तकनीकी/शोध से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक रूप से लिखने वाले ऐसे लेखकों को समुचित रायल्टी का प्रावधान किया जाए, जिनकी	

		पुस्तकों का संस्थानों में नियमित रूप से कार्यात्मक अथवा पाठयक्रम के रूप में उपयोग किया जाता है ।	
3	34	वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में तथा उसके पश्चात राजभाषा विभाग ने पुस्तकों की खरीद के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में संशोधन कर इसमें जर्नल्स एवं मानक संदर्भ पुस्तकों की खरीद पर व्यय को शामिल नहीं किया है। समिति इस संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्कता महसूस करती है, क्योंकि यदि यह छूट अनिश्चित समय के लिए लागू रही तो इसका हिंदी के दूरगामी उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा ।	
4	46	केन्द्रीय सरकार की भर्ती हेतु आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, जिसमें उत्ताीर्ण हुए बिना अभ्यर्थी को असफल माना जाए ।	
5	47	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहत बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों में निदेशक (राजभाषा) के पद यथावत बने रहें और संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद सृजित करने पर भी विचार किया जाए ।	
6	49	क्षेत्र "ग" में हिंदी कार्मिक की नियुक्ति पर उसे विशेष भत्तो के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए और साथ ही ऐसी तैनाती एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र "क" के अभ्यर्थी बेझिझक क्षेत्र "ग" में तैनाती स्वीकार कर लें ।	
7	51	सभी केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले सरकारी विद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई दसवीं स्तर तक हिंदी माध्यम से तत्काल शुरू की जानी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को भी एक विषय के रूप में रखा जा सकता है । एक निर्धारित समय के उपरांत स्थिति की समीक्षा करके इसका विस्तार "ग" क्षेत्र में भी किया जाए ।	
8	52	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, अनुसंधान तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों की	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की गई है।

		भर्ती में मैट्रिक स्तर तक का हिंदी ज्ञान अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें अपना विषय हिंदी में पढाने में कोई कठिनाई न हो।	
9	54	सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों में केवल हिंदी माध्यम से पढाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की गई है।
10	69	अंग्रेजी के अखबार में भी हिंदी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं और हिंदी के अखबार में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं । अत: सभी कार्यालय विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में दें ।	
11	74	वर्ष 2008 से केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने से पहले ही **"क", "ख", "ग"** तथा **"घ"** सभी वर्गों में होने वाली सीधी भर्ती के दौरान ही हिंदी संबंधी ज्ञान की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए ताकि बाद में प्रशिक्षण्ा संबंधी तमाम परेशानियों एवं बाध्यताओं से बचा जा सके । हिंदी संबंधी न्यूनतम योग्यता भी **"क", "ख"** तथा **"ग"** वर्ग के मामले में कम-से-कम दसवीं कक्षा अथवा उससे अधिक हो सकती है । वर्ग **"घ"** के लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं कक्षा तक शिथिल की जा सकती है ।	
12	75	कर्मचारियों के हिंदी का ज्ञान एवं उनके द्वारा किए गए हिंदी कार्य का ब्यौरा क्रमश: सेवा पंजिका तथा गोपनीय रिपोर्ट में अंकित किया जाए । साथ ही, हिंदी संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संवर्गों से संबंधित पदोन्नितियों के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समितियाँ, पदोन्नति के विचारार्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए हिंदी कार्य का मूल्यांकन कर उसे बोनस अंक प्रदान करें।	

2-10-1 समिति का यह अनुभव है कि सामूहिक विवेक से तैयार की गई संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग में गहराई से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है और इसलिए समिति की सिफारिशों पर कारगर आदेश जारी नहीं हो पाते जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते । अत: समिति का यह सुझाव है कि समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आदेश जारी करने से पहले राजभाषा विभाग समिति के साथ विचार-विमर्श कर ले । तत्पश्चात्, राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद राजभाषा विभाग केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों में उन आदेशों का समयबध्द रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे ।

2-10-2 समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा की जाए तथा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप उपर्युक्त आदेश जारी किए जाएं।